Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Aanganbari Revision No.- 06/2022

Shila Kumari .....Petitioner.

Versus

Soni Kumari & Ors.....Opposite Party.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	26.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा आंगनबाड़ी वाद सं0–02/2020–21 में दिनांक–15.12.2021 को पारित आदेश तथा ज्ञापांक–1123, दिनांक–15.12.2021 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका ग्राम पंचायत रघुनाथपुर दक्षिण, वार्ड सं0–10 प्रखंड व थाना–भरगामा, जिला–अररिया की स्थायी निवासी है। आवेदिका द्वारा सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में ग्राम पंचायत रघुनाथपुर दक्षिण, वार्ड सं0–10, अंचल–भरगामा, जिला–अररिया में टोला–मोजहा के आंगनबाड़ी सेविका पद पर चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध ऑन लाईन आवेदन किया गया। दिनांक–15.02.2020 को आयोजित आम सभा में चयन समिति के द्वारा सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर इनका चयन किया गया। चयन के पश्चात योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापन के उपरांत अनुमति मिलने पर अपना दायित्व एवं जबावदेही का निर्वहन आवंटित केन्द्र पर करती रही। दिनांक–15.02.2020 को आयोजित विशेष आम सभा में विपक्षी सं0–01 सोनी कुमारी सर्वाधिक प्राप्तांक रहने के कारण प्रथम स्थान पर थी तथा दूसरे स्थान पर आवेदिका शीला कुमारी थी। आम सभा में आवेदिका एवं ग्रामीणों	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 26.04.2023	द्वारा यह तथ्य सामने लाया गया कि प्रथम स्थान की अभ्यर्थी क्रमशः सोनी कुमारी द्वारा चयन समिति को धोखा देने के नियत से अपने आवेदन में शारीरिक विकलांग्ता का वर्णन किया गया। जबकि यह शारीरिक विकलांग नहीं है। संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। मार्गदर्शिका के नियमावली के अनुसार सोनी कुमारी द्वारा आवेदन में अपने पिता के स्तर का जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि आई0सी0 डी0एस0 निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–721, दिनांक–28.01.2020 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदिका द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन के आधार पर ही निर्णय लिया जाना है, परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया द्वारा अपील वाद सं0–02/2020 में उक्त विभागीय निदेश का उल्लंघन करते हुए ऑनलाईन समर्पित आवेदन पर पुनरीक्षण करते हुए आदेश पारित किया गया है। जो विभागीय मार्गदर्शिका का घोर उल्लंघन है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए सेविका पद पर पुनर्वहाल करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–01, सोनी कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। विपक्षी सं0–01, सोनी कुमारी द्वारा आवेदन के समय अपना जाति प्रमाण पत्र अज्ञानतावश पिता के स्थान पर पति के नाम से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न कर लिया गया। जब उन्हें ज्ञात हुआ तो दिनांक–19.09.2019 को फिर से भूल सुधार करते हुए ऑनलाईन आवेदन किया गया, जिसमें साइबर कैफे द्वारा भूलवश आवेदन के कॉलम पाँच में विकलांग्ता में (√) लगा दिया गया। इस प्रकार बिना विचार किये आवेदिका शीला कुमारी को चयननित कर लिया गया। इससे व्यथित होकर इनके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया के सक्षम अपील वाद सं0–	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 26.04.2023	02/2020–21 दायर किया गया, जिसमें जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करते हुए मार्गदर्शिका के नियमों के आलोक में अपील स्वीकृत करते हुए इनके चयन का आदेश निर्गत किया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में प्रस्तुत वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा चयनित सेविका सोनी कुमारी आवेदन के विकलांग्ता कॉलम में भूलवश (√) लगाया गया, साथ ही वह विकलांगता का लाभ भी नहीं प्राप्त की है। आम सभा पंजी की कार्यवाही के अनुसार इनके द्वारा पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र आम सभा में दिखाया गया। इस प्रकार निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदिका के पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश के प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	क्रमशः

Web Copy - Not Official.

Web Copy. Not Official.